बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

संचिका संख्या– यो०मो०–4 (विविध)07–372/2020 पार्ट–II- 143 /पटना, दिनांक– 06/3/2025

—: आदेश :—

विषयः— बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लिए Flood Plain Zoning लागू किए जाने के संबंध में।

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal), नई दिल्ली में विचाराधीन OA No-200/2014, OA No-673/2018 एवं अन्य मामले में पारित आदेशों के आलोक में नदियों के प्राकृतिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभकारी मूल्यों का संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम तथा नदी पारिस्थितिकी तंत्र (River Ecosystem) का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के उद्देश्य से Flood Plain Zoning राज्यों द्वारा लागू किया जाना है।
2. जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (Flood Management Program) के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु राज्यों को Flood Plain Zoning कानून अथवा किसी उपयुक्त कार्यकारी आदेश के माध्यम से लागू किये जाने की भी पात्रता निर्धारित की गयी है।
3. बिहार बाढ़ के दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील राज्य है, जहाँ बाढ़ प्रवण क्षेत्र देश के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का लगभग 17.2 प्रतिशत है। राज्य के कुल 94.16 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का 68.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73 प्रतिशत है। बिहार के कुल 68.80 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से 50.45 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तरी बिहार तथा 18.35 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र दक्षिणी बिहार में पड़ता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति तथा गंगा, कोसी, गंडक, बागमती जैसी प्रमुख नदियों के कारण राज्य को बार–बार बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है।
4. बाढ़ के संरचनात्मक प्रबंधन हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा नदियों पर तटबंधों का निर्माण एवं मरम्मति/रखरखाव तथा आवश्यक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराया जाता है। बिहार राज्य में विभिन्न नदियों पर लगभग 3800.41 किलोमीटर तटबंध का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें 3606.02 किलोमीटर उत्तर बिहार एवं 194.40 किलोमीटर दक्षिण बिहार में तटबंध का निर्माण किया गया है।

IT Manager
Kindly upload it on Departmental website.
06/03/2025
SE, PMC-4

Awadesh Kumar
06/03

तटबंधों के निर्माण से कुल 39.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया गया है।

5. राज्य अंतर्गत प्रथम चरण में Flood Plain Zoning तटबंधित नदियों के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है। गैर तटबंधित नदियों के लिए Flood Plain Zone के निर्धारण हेतु आवश्यक अध्ययनोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

6. उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य के दृष्टिगत राज्याधीन तटबंधित नदियों के लिए Flood Plain Zone का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:–

(क) जिन नदियों के दोनों किनारों पर तटबंध निर्मित है, उन नदियों के लिए दोनों किनारे पर निर्मित तटबंध के मध्य के क्षेत्र को Flood Plain Zone निर्धारित किया जाता है।

(ख) जिन नदियों के एक हीं किनारे पर तटबंध निर्मित है, उन नदियों के लिए तटबंध से लेकर नदी की चौड़ाई होते हुए नदी के दूसरे किनारे से 500 मीटर तक की चौड़ाई के क्षेत्र को Flood Plain Zone निर्धारित किया जाता है।

(ग) उपरोक्त कंडिका– क एवं ख में निर्धारित Flood Plain Zone को Prohibited Zone अंतर्गत रखा गया है।

7. (क) Prohibited Zone में निम्नांकित गतिविधियां अनुमान्य होगी :–

i. पारंपरिक जैविक और प्राकृतिक खेती, जिसमें किसी भी प्रकार के कृषि रसायन या भारी मशीनरी का उपयोग न हो।
ii. पार्क, खेल के मैदान, बगीचे, मनोरंजक गतिविधियाँ आदि, जिनमें किसी स्थायी संरचना का निर्माण/अधिष्ठापन न हो।
iii. पारंपरिक मछली पालन, जिसमें रसायनों, विषाक्त पदार्थों, विस्फोटकों या बिजली के कनेक्शन का उपयोग न हो।
iv. पशुओं को चराने हेतु चारागाह।
v. घरेलू तथा अन्य गैर–व्यावसायिक उपयोग के लिए हैन्डपंपों से भूजल की निकासी।
vi. संबंधित सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेकर डिफेन्स संबंधित अस्थाई/चलंत संरचनाओं का निर्माण।
vii. बाढ़ सुरक्षा संबंधित संरचनाओं का निर्माण।
viii. आवश्यक सेवाओं के लिए निर्माण जैसे गैस/पेट्रोलियम पाइपलाइन, बिजली लाइन ट्रांसमिशन टावर, जल आपूर्ति पाइपलाइन, पुल और बैराज।

ix. प्राकृतिक आपदाओं और आपदा प्रबंधन जैसी विशेष परिस्थितियों के लिए अस्थाई/चलंत संरचनाओं एवं आवासन का निर्माण।

x. शहरों या कस्बों से घरेलू अपशिष्ट जल का उपचारित होकर निर्धारित मानकों के अनुसार निस्सरण।

xi. धार्मिक और सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियाँ (जैसे कुंभ मेला, पूजा अनुष्ठान आदि) और उनसे संबंधित पूर्ण रूप से अस्थाई/चलंत संरचनाएँ, लेकिन केवल गैर–मानसून मौसम में।

xii. अस्थाई/चलंत घाट एवं रिवरफ्रन्ट के निर्माण।

xiii. पर्यावरण–अनुकूल पर्यटन गतिविधियाँ, जिनमें स्थायी संरचनाओं का निर्माण न हो और प्रकृति अनुकूल प्रैक्टिस जैसे गैर–डीजल मोटरबोट का उपयोग शामिल हो।

xiv. पर्याप्त सुरक्षा के साथ रेलवे के आधारभूत निर्माण जैसे नए तटबंध/पुलों का निर्माण।

xv. स्थानीय वृक्ष/झाड़ का व्यावसायिक उपयोग के लिए वृक्षारोपण।

xvi. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों तथा राज्य सरकार के समय समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार Regulated Sand/ Stone/ sediment/ river borne material mining की अनुमति।

xvii. पूर्व से निर्मित भवनों का अतिआवश्यक मरम्मती का कार्य, परंतु इसमे कोई विस्तारीकरण/नवनिर्माण निषिद्ध होगा।

xviii. STP, Conservation तथा NMCG से संबंधित कार्य।

xix. नदी के वर्तमान किनारे को दृष्टिगत रखते हुए नदी–तट से 250 मीटर के दूरी को छोड़ कर बाकी चौड़ाई में ऐसे पूर्ण रूप से अस्थाई/चलंत भवन, आवास एवं संरचना का निर्माण जो अनफोल्ड कर अथवा यथास्वरूप स्थानांतरित किया जा सके।

(ख) Prohibited Zone मे निम्नांकित गतिविधियाँ प्रतिबंधित होगीः–

i. सभी प्रकार के स्थायी निर्माण।

ii. किसी भी प्रकार की किसी भी मौजूदा संरचना के फर्श क्षेत्र या ऊंचाई में कोई वृद्धि।

iii. ठोस अपशिष्ट का डंपिंग/लैंड फिल का निर्माण।

iv. अत्यधिक अस्थिर, ज्वलनशील, विस्फोटक, विषाक्त पदार्थों का भंडारण।

v. बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक या औद्योगिक सुविधाओं की स्थापना।

vi. कंडिका 'क' में उल्लेखित अनुमत गतिविधियों को छोड़कर नदी चैनल के प्राकृतिक मार्ग को बाधित करने वाले निर्माण कार्य।

8. Prohibited Zone में मूलभूत सुविधाएँ यथा स्कूल, अस्पताल, सड़कें तथा आंगनवाड़ी केंद्र इत्यादि को स्थापित करने हेतु अस्थाई/चलंत संरचना, जो

अनफोल्ड/यथास्वरूप स्थानान्तरित किए जा सके को उपयोग में लाया जा सकता है।

9. Flood Plain Zoning के कार्यान्वयन/विनियमन से संबंधित गतिविधियों की निगरानी एवं समन्वय संबंधित जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। साथ ही Flood Plain Zoning की स्वीकार्यता के उद्देश्य से ग्रामवासियों को तटबंध से बाहर बसने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रोत्साहित/प्रशिक्षित किया जायेगा। राज्याधीन सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन को Flood Plain Zoning के कार्यान्वयन/विनियमन हेतु सहयोग किया जायेगा।
10. Flood Plain Zoning के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जायेगी तथा बदलते पर्यावरणीय एवं सामाजिक–आर्थिक परिदृश्यों के अनुसार इसे सशक्त बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
11. उक्त पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5/3/25

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–यो०मो०–4 (विविध)07–372/2020 पार्ट–II-143 पटना, दिनांक– 06/3/2025

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/25

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–यो०मो०–4 (विविध)07–372/2020 पार्ट–II-143 पटना, दिनांक– 06/3/2025

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/सिंचाई सृजन/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/25

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–यो०मो०–4 (विविध)07–372/2020 पार्ट–II-143 पटना, दिनांक– 06/3/2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ आपदा प्रबंधन विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ खान एवं भू–तत्व विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ पर्यटन विभाग/ उद्योग विभाग/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/ विधि विभाग/अध्यक्ष, बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/25

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–यो०मो०–4 (विविध)07–372/2020 पार्ट–II-143पटना, दिनांक– 06/3/2025

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ समर्पित ।

5/3/25

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग